

**न्यायालय सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक
मजिस्ट्रेट, ठाकुरद्वारा**

राज्य बनाम वरकत आदि।
वाद सं०-1174 / 2016
मु०अ०सं०-146 / 2016
धारा-380 भा.दं.सं.
थाना-भगतपुर

14.01.2020

अभियुक्त असगर की ओर से द्वितीय जमानत प्रार्थनापत्र वाद सं०-1174 / 2016 मु०अ०सं०-146 / 2016 धारा-380 भा.दं.सं. थाना-भगतपुर जिला मुरादाबाद में प्रस्तुत कर कथन किया गया है कि वाद उपरोक्त में पूर्व से जमानत पर था अभियुक्त नियत तिथियों पर न्यायालय में उपस्थित नहीं आ सका तथा न्यायालय द्वारा वारंट जारी कर दिये गये। अतः उसे जमानत पर रिहा किया जाए।

प्रार्थनापत्र पर सुना तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

अभियुक्त पूर्व में जमानत पर था तथा नियत तिथि पर न्यायालय उपस्थित न आने के कारण न्यायालय द्वारा अभियुक्त के विरुद्ध वारंट जारी कर दिये गये थे। अभियुक्त के न्यायालय द्वारा वारंट निरस्त कर सांय 05.00 बजे तक न्यायिक अभिरक्षा में लिया गया। अभियुक्तगण भविष्य में नियत तिथियों पर हाजिर होंगे एवं कोई हाजरी माफी न्यायालय में प्रस्तुत नहीं करेंगे। अभियुक्त की जमानत सत्र न्यायालय से दिनांक 07.11.16 को हो चुकी है। उपरोक्त तथ्यों व परिस्थितियों में जमानत प्रार्थनापत्र स्वीकृत किये जाने योग्य है।

आदेश

अभियुक्त असगर द्वारा पचास-पचास हजार रू० के दो प्रतिभू एवं समान धनराशि का व्यक्तिगत बंधपत्र प्रस्तुत करने पर जमानत पर रिहा किया जाए।

सिविल जज (जू.डि.) / न्यायिक मजिस्ट्रेट
ठाकुरद्वारा।

